

क्रमांक सहायता/बजट/2019/
प्रेषित:-

1453

दिनांक 30.07.2020

वित्तीय सलाहकार,
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग
जयपुर

विषय:- जल आपूर्ति हेतु लगाये गये टेंकरों के भुगतान हेतु बजट के आवन्तन के कम में।

प्रसंग:- इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 301 दिनांक 04.02.2020
क्रमांक 1049 दिनांक 21.05.2020, क्र० 1078 दिनांक
02.06.2020 ऑनलाईन डिमाण्ड क्र० 684 दिनांक 29.05.2020
एवं क्रमांक 1293 दिनांक 07.07.2020

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों से मानसून 2019 में अतिवृष्टि/बाढ़ से प्रभावित एरिया में अधिशाषी अभियन्ता जल स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वितीय सकतपुरा कोटा द्वारा टेंकरों के माध्यम से पेयजल आपूर्ति की गई थी। उक्त आपूर्ति कार्य की राशि /बजट रूपये 4.79 लाख निम्नांकित मद में आवन्तित करने हेतु निवेदन किया गया था। परन्तु उक्त राशि का बजट अभी तक आवन्तन नहीं हुआ है।

उक्त कार्य जिला कार्यालय द्वारा आयोजित डी0डी0एम0ए0 की बैठक दिनांक 01.10.2019 में अनुमोदित है। आपके निर्देश के कम में बैठक कार्यवाही विवरण की छायाप्रति प्रति संलग्न प्रेषित की जा रही है।

मॉग संख्या-

2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत

02- बाढ़ चक्रवात आदि

102- पीने के पानी की पूर्ति

(04)बाढ़ क्षेत्र में पीने के पानी की पूर्ति

(01)मानवीय जल पूर्ति

12-सहायतार्थ अनुदान

अतः टेंकरों से जल आपूर्ति हेतु किये गये कार्य के भुगतान के लिये उक्तानुसार 4.79 लाख का बजट आवन्तित करने का श्रम करे।

संलग्न

बैठक कार्यवाही विवरण

भवदीय,

अति० जिला कलेक्टर,

कोटा

कार्यालय जिला कलक्टर (सहायता) कोटा

जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (डी0डी0एम0ए0) की बैठक दिनांक 01.10.2019
कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 01.10.2019 को समय 10.30 बजे पर जिला कलक्टर महोदय की अध्यक्षता में जिले में प्राकृतिक आपदाओं से जिले में आमजन के बचाव के सुरक्षात्मक उपाय, आश्रय स्थलों, शुद्ध पेयजल व्यवस्था, मानसून वर्ष 2019 के दौरान बाए/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सम्पत्तियों की मरम्मत एसडीआरएफ मद से कराने हेतु प्रस्तावों का अनुमोदन एवं फसल रबी ओलावृष्टि से प्रभावित कृषको को भुगतान की गई कृषि आदान अनुदान तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण(डीडीएमए) कोटा की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया । जिसमें संलग्न सूची अनुसार अधिकारीगण उपस्थित हुये:-

सर्व प्रथम अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) कोटा द्वारा बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों का स्वागत किया गया एवं अवगत कराया कि प्राकृतिक आपदाओं से आमजन के बचाव के सुरक्षात्मक उपाय, आश्रय स्थलो की व्यवस्था, मौसमी बीमारियों की रोकथाम एवं बचाव हेतु सुरक्षात्मक उपाय, शुद्ध जल व्यवस्था मानसून वर्ष 2019 के दौरान बाढ/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सम्पत्तियों की मरम्मत एस0.डी0आर.एफ. मद से कराने हेतु प्राप्त प्रस्तावों का अनुमोदन एवं फसल रबी ओलावृष्टि से प्रभावित कृषको को भुगतान की गई कृषि आदान अनुदान राशि का हिसाब तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में बैठक का आयोजन किया गया । जिला कलक्टर महोदय द्वारा उपस्थित समस्त अधिकारियों को निम्न निर्देश प्रदान किये :-

1- आश्रय स्थल की व्यवस्था :-

कोटा शहर एवं जिले में आश्रय स्थलो की पर्याप्त व्यवस्था नगर निगम/स्थानीय निकाये द्वारा किये जाने के निर्देश दिये गये। वर्तमान में संचालित आश्रय स्थलो पर समस्त आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की जावे।

2-मौसमी बीमारियों की रोकथाम एवं बचाव हेतु सुरक्षात्मक उपाय:-

मौसमी बीमारियों की रोकथाम व बचाव एवं चिकित्सालयों में पीडितो के उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वा0 अधिकारी सी0एच0सी0 एवं पी0एच0सी0 को अपने स्तर से आवश्यक निर्देश जारी करे। मलेरियों व मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए समुचित व्यवस्थाये की जावे।

3- पेयजल व्यवस्था :-

जिले में शुद्ध पेयजल व्यवस्था की जलापूर्ति सुनिश्चित की जावे। अधिशाषी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया कि 4 में से 3 पम्प वर्तमान में कार्यरत है व 2 में पानी सप्लाई वर्तमान में चालू है।

4-सार्वजनिक सम्पत्तियों की मरम्मत के प्रस्तावों पर विचार:-

मानसून 2019 के दौरान अतिवृष्टि /बाढ से क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों की एस0डी0आर0एफ0 मद से मरम्मत कराने हेतु प्राप्त निम्नांकित प्रस्तावों का आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की बैठक में रखा गया: ---

क्र०स०	विभाग	सार्वजनिक सम्पत्तिया	राशि (लाखों में)
1	अधिशायी अभियन्ता चम्बल परियोजना कोटा	आलनिया मध्यम सिचाई परियोजना लाडपुरा	38.34
	अधिशायी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड कोटा	चन्द्रावला एनीकट, अतरालियाँ वगैरा एनिकट जीर्णोद्धार 35.00-544.58	579.58
2	अधिशायी अभियन्ता चम्बल परियोजना कोटा	आलनिया मध्यम सिचाई परियोजना लाडपुरा	15.36
3	नगर विकास न्यास कोटा	सडके -77	263.37
4	अधिशायी अभियन्ता सा०नि०वि० खण्ड ईटावा	क्षतिग्रस्त सडके 02 पुलिया 09'	14.59
5	अधि०अभियन्ता सा०नि०वि० रा०मण्डी	क्षतिग्रस्त राजकीय भवन / आवास कुल 11	12.00
6	अधिशायी अभियन्ता पीएचईडी डिविजन II सकतपुरा कोटा	1-आरसीसी पेडेस्टल 4 पम्प डेमेज 1300 एमएमपाईज	60.00
		2-1300 एमएमएस पाईप लाईन क्षतिग्रस्त	5.00
7	अधिशायी अभियन्ता पीएचईडी डिविजन नगर खण्ड कोटा	पेयजल टैंकर	7.75

क्रम संख्या 1 से 5 विभागो से प्राप्त प्रस्तावों का बैठक में सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया। क्रम संख्या 6 पर अंकित अधिशायी अभियन्ता पीएचईडी डिवि० II सकतपुरा कोटा रूपये 65.00 लाख के प्रस्ताव उपखण्ड स्तरीय समिति से अनुमोदित करवाकर भिजवाने के निर्देश दिये गये तथा क्रम 7 पर अंकित अधि०अभियन्ता पीएचईडी नगर खण्ड कोटा द्वारा प्रस्तुत टैंकरों के माध्यम से प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति के बिल प्रस्तुत करने के निर्देश प्रदान किये गये।

बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वा० अधिकारी कोटा को निर्देश दिये गये कि मौसमी बीमारियों को मध्यनजर रखते हुए समस्त उपाये किये जावे। पानी भरे गढ़दों में जला हुआ तेल डाला जावे। Antilarva activity व fogging नियमित रूप से करवाई जावे। पशुपालन विभाग को निर्देश दिये गये कि पशुओं में हुई बीमारी का ध्यान रखा जावे

जन स्वा० अभियान्त्रिकी विभाग को निर्देश दिये गये कि कोटा शहर में हो रही गन्दे पानी की सप्ताई को चेक कराया जावे एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सुचारु रखी जावे। पेयजल के साथ यदि पाईपलाईनों में कहीं लिकेज आदि हो तो उनको तत्काल ठीक कराये जावे।

नगर विकास न्यास कोटा/नगर निगम कोटा को शीघ्र सडको की मरम्मत करने के निर्देश दिये गये हैं।

कृषि विभाग के आये प्रतिनिधी को निर्देश दिये गये फसलो में हुये नुकसान व होने वाली बीमारियों के बारे में पूर्ण जानकारी का प्रचार प्रसार किया जावे एवं आवश्यक दवाईयों/सामग्री उपलब्ध कराये। विभाग के द्वारा जारी पम्पलेट सभी तहसीलों को भिजवाये जावे व किसानों में प्रचार प्रसार कराया जावे।

सभी उपखण्ड अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि उप निदेशक कृषि विभाग द्वारा जारी प्रपत्र में सम्बन्धित गिरदावरों /पटवारियों से आराजी का सर्वे कराया जावे , किस किस खेत पर कितनी कितनी फसल बोई थी, अतिवृष्टि से कितना खराबा हुआ है, का मौके पर जाँच की जावे व खराबों का पूर्ण आंकलन कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जावे।

बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि बाढ आपदा से हुये नुकसान की सूचना नोर्म्स के अनुसार प्रस्तुत करें । सभी को यह भी निर्देश दिये गये कि गिरदावरी कार्य करवाकर /फसलो में हुये खराबा का आँकलन कर सूचना तत्काल प्रस्तुत की जावे।

बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई

अति० जिला कलक्टर
कोटा

दिनांक 10/10/2019

प्रतिलिपी सहायता/2019/मीटिंग/ 1820
प्रतिलिपी:-

- 1- जिला पुलिस अधीक्षक नगर/ग्रामीण कोटा
- 2- कमाण्डेन्ट आर०ए०सी० बटालियन कोटा
- 3- अति० जिला कलक्टर प्रशासन/नगर कोटा
- 4- मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद कोटा
- 5- आयुक्त नगर निगम कोटा
- 6- सचिव नगर विकास न्यास कोटा
- 7- जिला रसद अधिकारी कोटा /जिला परिवहन अधिकारी कोटा
- 8- उपखण्ड अधिकारी कोटा/दीगोद/साँगोद/कनवास/ईटावा/रामगंजमण्डी
- 9- तहसीलदार लाडपुरा/दीगोद/साँगोद/कनवास/रामगंजमण्डी/पीपल्दा
- 10- मुख्य चिकित्सा एवं स्वा० अधिकारी कोटा
- 11- सयुक्त निदेशक पशु पालन विभाग कोटा
- 12- उप निदेशक कृषि विस्तार कोटा
- 13- परियोजना प्रबन्धक सी०ए०डी०कोटा
- 14- अधीक्षण अभियन्ता सा०नि०वि०कोटा /रामगंजमण्डी
- 15- अधिशाषी अभियन्ता सा०नि०वि० खण्ड साँगोद/ईटावा/रामगंजमण्डी
- 16- उपनियन्त्रक नागरिकसुरक्षा कोटा
- 17-
- 18- अति० निजी सचिव जिला कलक्टर कोटा

अति० जिला कलक्टर
कोटा